रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 135] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 27, 1985/चैत्र 6, 1907
No. 135] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 27, 1985/CHAITRA 6, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधाई विभाग)

अधिसूचन

नई दिल्ली, 27 मार्च, 1985

सा.का.नि. 314(अ) :—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

"सं. आ. 121"

संविधान (राजस्व वितरण) आदेश, 1985

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 270 और अनुच्छेद 275 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) आदेश, 1985 है ।

2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है ।

3. (1) अनुच्छेद 270 के खंड (2) के प्रयोजनों के लिए, आय पर करों के उतने शुद्ध आगमों का, जितने संघ की उपलब्धियों के संबंध में संदेय करों के शुद्ध आगम नहीं है, 1.792 प्रतिशत, 1 अप्रैल, 1985 को और उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त हुआ आगम माना जा सकता है ।

(2) आय पर करों के शुद्ध आगमों का प्रतिशत, वहां तक के सिवाय जहां तक वे आगम संघ राज्य क्षेत्रों से या संघ की उपलब्धियों के संबंध में संदेय करों से प्राप्त हुए आगम माने जा सकते हैं, जो 1 अप्रैल, 1985 को और उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष में उक्त खंड के अधीन राज्यों को सौंपा जाना है, पचासी प्रतिशत

होगा और इस प्रकार सौंपी जाने वाली कुल रकम, राज्यों के बीच निम्नलिखित रीति से वितरित की जाएगी :—

राज्य	प्रतिशतता
आन्ध्र प्रदेश	8.190
असम	2.789
बिहार	12.085
गुजरात	4.410
हरियाणा	1.074
हिमाचल प्रदेश	0.555
जम्मू-कश्मीर	0.838
कर्नाटक	4.981
केरल	3.761
मध्य प्रदेश	8.382
महाराष्ट्र	8.396
मणिपुर	0.220
मेघालय	0.184
नागालैंड	0.039
उड़ीसा	4.203
पंजाब	1.744
राजस्थान	4.547
तमिलनाडु	7.567
त्रिपुरा	0.269
उत्तर प्रदेश	17.914
पश्चिमी बंगाल	7.803

4. (1) अनुच्छेद 275 के खंड (1) के उपबंधों के अनुसार, 1 अप्रैल, 1985 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष और तीन उत्तरवर्ती वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक में, नीचे विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में उस वर्ष के लिए उसके सामने विनिर्दिष्ट राशियां भारत की संचित निधि पर भारित होंगी :—

(रुपए करोड़ में)

राज्य	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89
असम	66.92	55.08	47.37	26.38
हिमाचल प्रदेश	53.91	47.35	40.76	23.37
जम्मू-कश्मीर	81.14	68.79	57.34	32.69
मणिपुर	35.51	31.25	26.87	15.18
मेघालय	28.76	35.39	21.75	12.42
नागालैंड	45.96	40.65	35.19	19.96
उड़ीसा	54.94	37.78	27.42	19.91
राजस्थान	8.38	—	—	—
सिक्किम	8.71	7.66	6.59	3.82
त्रिपुरा	44.71	39.57	34.41	20.53
पश्चिमी बंगाल	113.31	82.59	63.00	42.60

(2) उपपैरा (1) के अधीन संदेय कोई राशि या राशियां, अनुच्छेद 275 के खंड (1) के प्रत्येक परन्तुक के अधीन राज्यों को संदेय किसी राशि या राशियों के अतिरिक्त होंगी ।

5. संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 2 आदेश, 1984 1 अप्रैल, 1985 से निरसित हो जाएगा ।

जैल सिंह,
राष्ट्रपति ।

[सं. फा. 19(4)/84-वि.-1]
रु. वेंकट सूर्य पेरिशास्त्री,
सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 1985

G.S.R. 314(E).—The following Order made by the President is published for general information.

"C. O. 121"

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES) ORDER, 1985

In exercise of the powers conferred by articles 270 and 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Finance Commission, hereby makes the following Order, namely :—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) Order, 1985.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3.(1) For the purposes of clause (2) of article 270, 1.792 per cent. of so much of the net proceeds of taxes on income as does not represent the net proceeds of taxes payable in respect of Union emoluments shall represent the proceeds attributable to Union territories for each financial year commencing on and after the 1st day of April, 1985.

(2) The percentage of the net proceeds of the taxes on income, except in so far as those proceeds represent proceeds attributable to Union territories or to taxes payable in respect of Union emoluments, which is to be assigned to the States under the said clause in each of the financial years commencing on and after the 1st day of April, 1985 shall be eighty-five per cent and the total amount to be so assigned shall be distributed among the States as follows :—

State	Percentage
1	2
Andhra Pradesh	8.190
Assam	2.789
Bihar	12.085
Gujarat	4.410
Haryana	1.074

1	2
Himachal Pradesh	0.55
Jammu and Kashmir	0.838
Karnataka	4.981
Kerala	3.761
Madhya Pradesh	8.382
Maharashtra	8.396
Manipur	0.220
Meghalaya	0.184
Nagaland	0.088
Orissa	4.203
Punjab	1.744
Rajasthan	4.547
Tamil Nadu	7.567
Tripura	0.269
Uttar Pradesh	17.914
West Bengal	7.803

4. (1) In accordance with the prc [illegible] clause (1) of [illegible] ill be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 1985 and each of the three succeeding financial years as grants-in-aid of the revenues of each of the States specified below, the sums specified against it for that year:—

(Rupees in crores)

State	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89
Assam	66.92	55.08	47.37	26.38
Himachal Pradesh	53.91	47.35	40.76	23.37
Jammu and Kashmir	81.14	68.79	57.34	32.69
Manipur	35.51	31.25	26.87	15.18
Meghalaya	28.76	25.30	21.75	12.42
Nagaland	45.96	40.65	35.19	19.96
Orissa	54.94	37.78	27.42	19.91
Rajasthan	8.38	..	..	..
Sikkim	8.71	7.66	6.59	3.82
Tripura	44.71	39.57	34.41	20.53
West Bengal	113.31	82.59	63.00	42.60

(2) Any sum or sums payable under sub-paragraph (1) shall be in addition to any sum or sums payable to the States under each of the provisos to clause (1) of article 275.

5. The Constitution (Distribution of Revenues) No. 2 Order, 1984, shall, as from the 1st day of April, 1985 stand repealed.

ZAIL SINGH,
President.

[No. F. 19(4)/84-L.I.]
R. V. S. PERI SASTRI, Secy

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985